



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ २(३०)पंरावि/प्रशा.१/आरआरडीएस-१२/संस्था/२०१५/ ११५४ जयपुर, दिनांक २६/१६

—: आदेश :—

विभागीय आदेश क्रमांक 2433 दिनांक 18.11.2011 के क्रम में सुश्री दीपाली शर्मा परिवीक्षाधीन अधिकारी, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा (बैच-2012) द्वारा कार्यग्रहण में वृद्धि के उपरान्त दिनांक 25.5.16 को विभाग में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की है। सुश्री शर्मा द्वारा पूर्व में आधारभूत एवं संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के कारण पंचायत समिति में विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित करने से पूर्व दिनांक 2.8.2013 तक जिला परिषद जयपुर में फील्ड प्रशिक्षण के लिये लगाया जाता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर सुश्री दीपाली शर्मा, परिवीक्षाधीन अधिकारी, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा को संलग्न कार्यक्रम के अनुसार जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(गिरीश प्रसाशर)
शासन उप सचिव (प्रशा.१)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर, जयपुर।
8. अतिरिक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर।
9. सुश्री दीपाली शर्मा, प्रशिक्षु परिवीक्षाधीन अधिकारी, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा, आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय को पालनार्थ।
10. एसोपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. आदेश पत्रावली।

(गिरीश प्रसाशर)
शासन उप सचिव (प्रशा.१)